

## अक्टूबर, 2009 के दौरान निष्पादन

- आयोग ने सलाह के लिए प्राप्त 416 मामलों का निपटान किया ।
- आयोग द्वारा कुछ विभागों में तकनीकी परीक्षण संचालित करने के पश्चात 69,31,000/- रू० की वसूलियां की गई ।

2. आयोग की सिफारिशों पर प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है :-

(i) निम्न विभागों के 19 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाना:-

क.	रेल मंत्रालय	:	6
ख.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	:	5
ग.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	4
घ.	दूरसंचार विभाग	:	1
ङ	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	:	1
च.	सी.बी.आई.	:	1
छ.	श्रम मंत्रालय	:	1

(ii) आयोग ने 113 अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने की सलाह दी ।

क.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	:	32
ख.	रेल मंत्रालय	:	27
ग.	दिल्ली नगर निगम	:	09
घ.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	:	06
ङ	हिन्दूस्तान कॉपर लि०	:	06
च.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	:	05
छ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	04
ज.	दामोदर घाटी निगम	:	04
झ.	एन.एच.ए.आई.	:	03
ञ.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	:	03
ट.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	:	02
ठ.	माझगांव डॉक लि०	:	02
ड.	सी.आर.पी.एफ.	:	01
ढ.	सी.बी.आई.	:	01
ण.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	:	01
त.	एल.आई.सी.	:	01
थ.	श्रम मंत्रालय	:	01
द.	आपूर्ति विभाग	:	01

ध.	परमाणु उर्जा विभाग	:	01
न.	दूरसंचार विभाग	:	01
प.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	:	01
फ.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	:	01

iii) **आयोग ने 60 अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।**

क.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	:	15
ख.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	:	13
ग.	रेल मंत्रालय	:	09
घ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	04
ङ.	दिल्ली नगर निगम	:	04
च.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	:	03
छ.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि०	:	02
ज.	यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कं० लि०	:	02
झ.	दूरसंचार विभाग	:	02
ञ.	न्यू इंडिया इश्योरेंस कं० लि	:	01
ट.	डाक विभाग	:	01
ठ.	सीमेन्ट का० ऑफ इंडिया लि०	:	01
ड.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	:	01
ढ.	भारतीय मानक ब्यूरो	:	01
ण.	रक्षा लेखा विभाग	:	01

(iv) **अक्टूबर, 2009 में शिकायतों का निपटान**

क.	अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए भेजी गई	:	171
ख.	आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई	:	807

**लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत शिकायतें**

क.	अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए भेजी गई	:	07
ख.	आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई	:	11

(v) **अक्टूबर, 2009 के दौरान मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन ने 15 मामलों में गहन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनमें से 08 सिविल कार्यों की, 01 विद्युत तथा 06 भंडार/खरीद कार्यों की थी । मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन के गहन जांच के परिणामस्वरूप माह के दौरान 69,31,000/- रु० की वसूलियाँ की गई ।**

3. आयोग की सिफारिशों पर प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आने वाले **14 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति** जारी की:

क. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	:	07
ख. रक्षा मंत्रालय	:	02
ग. गृह मंत्रालय	:	02
घ. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	:	01
ड. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	:	01
च. कारपोरेशन बैंक	:	01

(ii) **63 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति लगाई गई ।**

क. डी.डी.ए.	:	16
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	:	13
ग. एम.सी.डी.	:	08
घ. इंडियन ऑयल का० लि०	:	07
ड. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	:	06
च. रेल मंत्रालय	:	06
छ. वाणिज्य मंत्रालय	:	03
ज. एम.टी.एन.एल.	:	02
झ. वस्त्र मंत्रालय	:	01
ञ. एन.एच.ए.आई.	:	01

( ऐसे मामलों की सूची, जहां बड़ी शास्तियां लगाई गई, संलग्नक-'क' में हैं )

(iii) आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, निम्न अधिकारियों पर कठोर बड़ी शास्ति लगाई गई ।

क. दिल्ली विकास प्राधिकरण	:	1
ख. वस्त्र मंत्रालय	:	1

(iv) आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, माह के दौरान निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों (संयुक्त सचिव/समकक्ष तथा ऊपर के पद के) को दण्ड दिया गया ।

क. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	:	3
ख. गृह मंत्रालय	:	1
ग. भारतीय मानक ब्यूरो	:	1

अक्टूबर, 2009 की अवधि तक निष्पादन

क्रम संख्या	सलाह का स्वरूप	मामलों की संख्या
1.	अभियोजन हेतु दी गई सलाह	149
2.	स्वीकृत अभियोजन	181
3.	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों हेतु दी गई सलाह	1108
4.	जाँच के पश्चात् बड़ी शास्ति लगाने हेतु दी गई सलाह	584
5.	लगाई गई बड़ी शास्तियाँ	572
6.	लघु शास्ति की कार्यवाहियाँ प्रारंभ करना	701
7.	लघु शास्ति लगाने हेतु दी गई सलाह	173
8.	लगाई गई लघु शास्तियाँ	606
9.	दोष मुक्ति/मामला बन्द करना	1872
10.	दी गई सतर्कता निकासी	318
11.	मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा गहन जांचों की संख्या	92
12.	मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप की गई वसूलियाँ	61.94 करोड़ रु०

4. **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ने अभियोजन के लिए स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात **108 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किये** । **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** को विभिन्न विभागों से **39 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हुई** । आयोग द्वारा इस मामले की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है ताकि सम्बन्धित संगठनों से उचित समय अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था । तथापि, अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने में अभी भी विलंब होता है ।

5. माह के दौरान, आयोग ने देखा कि विभागों/संगठनों द्वारा दो मामलों में लगाई गई शास्तियाँ, आयोग की सलाह से **भिन्न** थी । ये विभाग है: रेल मंत्रालय (2) ।

6. अनेक महत्वपूर्ण संगठनों, जैसे दिल्ली परिवहन निगम, कोच्चि शिपयार्ड लि०, के.आई.ओ.सी.एल. तथा इस्कॉन में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को भरे जाने में लगातार विलंब पर आयोग को गहरी चिन्ता है । सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है ।

7. **(क) वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में प्रथम चरण की दी गई सलाहों के बारे में संक्षिप्त विवरण:-**

- (i) आयोग ने खान मंत्रालय के एक निदेशक के विरुद्ध, चयन तथा पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताएं करने के लिए बड़ी शास्ति कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने की सलाह दी ।
- (ii) आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध, सहकारी समिति का कपटपूर्ण तरीके से पुनः प्रवर्तन किए जाने के लिए अभियोजन चलाने की सलाह दी ।
- (iii) आयोग ने ओ.आर.एच.डी.सी. के एक भूतपूर्व एम.डी.के विरुद्ध, कपटपूर्ण तरीके से 27 विभिन्न व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करने के लिए अभियोजन चलाने तथा बड़ी शास्ति कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने की सलाह दी ।
- (iv) आयोग ने एक आई.डी.ए.एस. अधिकारी के विरुद्ध, अदेय एल.टी.सी. प्राप्त करने के लिए बड़ी शास्ति कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने की सलाह दी ।

**(ख) वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में द्वितीय चरण की दी गई सलाहों के बारे में संक्षिप्त विवरण:-**

- i) आयोग ने तत्कालीन जी.एम.(सेवानिवृत्त) के विरुद्ध, निविदा अनुमोदन करने में प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए उपयुक्त बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।
- ii) आयोग ने सी.सी.आई. के भूतपूर्व सी.एम.डी. के विरुद्ध, निजी पक्षों से कोयले के प्रापण में अनियमितताएं करने के लिए बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।

8. **अक्टूबर 2009 में जारी परिपत्र/अनुदेश**

आयोग ने दिनांक 29.10.2009 के अपने परिपत्र सं0 30./10/2009 द्वारा उन पुनर्विचार प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों वाली विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है, जहां आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संदिग्ध लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी है ।

ऐसे मामलों की सूची जिनमें अक्टूबर, 2009 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा बड़ी शास्ति लगाई गई

क्र. सं.	नाम	पदनाम	संगठन	आयोग में प्राप्त अंतिम आदेश	लगाई गई शास्ति
1	बोरेगांवकर वी वी	एसएसई	रेल मंत्रालय	01.10.2009	भविष्य में प्रभाव के बिना चार माह की अवधि के लिए दो चरणों द्वारा उसी समय मान में कटौती
2	मुखलाल प्रसाद	एसएसई	रेल मंत्रालय	01.10.2009	छ माह की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि द्वारा वेतन के समयमान में वेतन की कटौती
3	सिंह प्रताप	एए	रेल मंत्रालय	09.10.2009	निचले चरण द्वारा वेतन की कटौती
4	आर के श्रीवास्तव	एसई	रेल मंत्रालय	09.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए वेतन से कटौती की बड़ी शास्ति
5	योगेन्द्र सिंह	एसई	रेल मंत्रालय	09.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष तथा छ माह की अवधि के लिए एक चरण द्वारा वेतन की कटौती
6	दया राम	वरिष्ठ डी.ई.एन.	रेल मंत्रालय	30.10.2009	मासिक पेंशन में 10% की कटौती
7	आशीश	डीजीएम	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	15.10.2009	तत्काल प्रभाव के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति
8	शिव कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	महानगर टेलीफोन निगम लि०	22.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन के समय मान में एक चरण द्वारा कटौती
9	एन एस डबास	एई(सी)	महानगर टेलीफोन निगम लि०	22.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए वेतन के समय मान के एक चरण द्वारा कटौती
10	सिक्का आर के	एमएमजीएस-III	भारतीय स्टेट बैंक	06.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करते हुए 1 वर्ष के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
11	बाजपेई विवेक	एसएमजीएस-V	भारतीय स्टेट बैंक	06.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा भविष्य की वेतनवृद्धियों को

					स्थगित करते हुए 2 वर्षों के लिए 3 चरणों द्वारा कटौती
12	अग्रवाल पी के	जेएमजीएस-I	भारतीय स्टेट बैंक	06.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करते हुए 1 वर्ष के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
13	चक्रवर्ती पार्थसारथी	एमएमजीएस-III	भारतीय स्टेट बैंक	06.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा स्थगन प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
14	रॉय धरनी धर	एमएमजीएस-III	भारतीय स्टेट बैंक	06.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा स्थगन प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
15	एच आर आर्या	अधिकारी	केनरा बैंक	06.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 3 चरणों द्वारा कटौती
16	टी वी ए आर अपराव	डीजीएम	केनरा बैंक	14.10.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा स्थगन प्रभाव के साथ 4 वर्षों के लिए 4 चरणों द्वारा कटौती
17	कुर्ताकोट्टी वी डी	प्रबंधक	केनरा बैंक	14.10.2009	बर्खास्तगी जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता है
18	अपरान्जी वी एन	शाखा प्रबंधक	कारपोरेशन बैंक	15.10.2009	वर्तमान मूल वेतन रु0 15000 प्रति माह के साथ मध्य प्रबंधन स्केल II से कनिष्ठ एमजीएम ग्रेड I में वापसी
19	मनोज कुमार	लिपिक	केनरा बैंक	16.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
20	के के दास	मुख्य प्रबंधक	केनरा बैंक	16.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
21	ए के महेन्द्रू	एजीएम	केनरा बैंक	20.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 3 चरणों द्वारा कटौती
22	सतीश प्रसाद	अधिकारी	केनरा बैंक	20.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
23	असवाल हीरा लाल	संयुक्त डीजीएफएफटी	वाणिज्य मंत्रालय	07.10.2009	3 वर्षों के लिए मासिक पेंशन का 10% रोका गया
24	सिंह के पी	उप डीजीएफटी	वाणिज्य मंत्रालय	07.10.2009	संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष के लिए दो चरणों द्वारा वेतन में कटौती
25	आर के	उप प्रबंधक	इंडियन ऑयल	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक

	रतनपाल		का0 लि0		चरण द्वारा वेतन में कटौती
26	आर के रतनपाल	उप प्रबंधक	इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक चरण द्वारा वेतन में कटौती
27	आर के रतनपाल	उप प्रबंधक	इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक चरण द्वारा वेतन में कटौती
28	राज पाल सिंह		इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक चरण द्वारा वेतन में कटौती
29	जग्गी एन सी	वरिष्ठ डीएम	इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक चरण द्वारा वेतन में कटौती
30	अग्रवाल के	सीएफएम	इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	सूचीकरण की तिथि से 12 माह के लिए पदोन्नति को रोका गया
31	मल्होत्रा राकेश	जीएम	इंडियन ऑयल का0 लि0	07.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक चरण द्वारा वेतन की कटौती
32	अनंतवार एसधाकर रामभाऊ	उप सीई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	16.10.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में दो चरणों द्वारा कटौती
33	त्रिपाठी श्याम बिहारी	उप सीई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.10.2009	तत्काल प्रभाव के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2009 तक निचले चरण में वापसी
34	सिंह सत्येन्द्र नारायण	एसई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.10.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की वापसी
35	सिंह सत्येन्द्र नारायण	एसई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.10.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
36	प्रभाकर प्रभाष प्रसाद	एसई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.10.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
37	आजाद चन्द्रशेखर सिंह	एसई	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.10.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
38	बजाज हरमीत	संकाय सदस्य, निफ्ट	वस्त्र मंत्रालय	23.10.2009	सेवा से हटाया गया
39	भट्ट राजेश राज	एफटीडीओ	वाणिज्य मंत्रालय	30.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 3 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा वेतन की कटौती
40	ललित गोयल	जेई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में

					कटौती
41	सुरेन्द्र कुमार	जेई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
42	सूबे पाल	एई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
43	पी के जैन	जेई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
44	पी के जैन	एई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
45	समिन्दर सिंह नेगी	ईई	दिल्ली नगर निगम	01.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
46	माथुर एस एस	एडी	दिल्ली विकास प्राधिकरण	07.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 10% की कटौती
47	डी डी शर्मा	सीई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	08.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
48	अहमद रफीक	एई	दिल्ली नगर निगम	15.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
49	कुमार राम	जेई	दिल्ली नगर निगम	15.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वर्तमान समय मान में वेतन में कटौती
50	डी एस गुप्ता	एई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	16.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
51	डी एस गुप्ता	एई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	16.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
52	ए के शर्मा	एसई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	16.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
53	अशोक कुमार	जेई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	16.10.2009	तत्काल प्रभाव के साथ 6 माह की अवधि के लिए

					निचले चरण की संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि की कटौती
54	बी एस नेगी	एफआई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	20.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ वेतन के समय मान में मूल वेतन +जीडी का 6%द्वारा वेतन की कटौती
55	चमन लाल	सहायक	दिल्ली विकास प्राधिकरण	20.10.2009	दो वर्षों के लिए पेंशन में 5% की कटौती
56	जय पाल सिंह	उच्च श्रेणी लिपिक	दिल्ली विकास प्राधिकरण	20.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ वेतन के समय मान में मूल वेतन का 6% +जीडी द्वारा वेतन की कटौती
57	प्रकाश वेद	अधीक्षक	दिल्ली विकास प्राधिकरण	21.10.2009	संचयी प्रभाव के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि तक दो चरणों द्वारा वेतन वेतन की कटौती
58	महेन्द्र कुमार	लेखाकार	दिल्ली विकास प्राधिकरण	22.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती
59	श्रीमती आशा गुप्ता	एफआई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	22.10.2009	डब्ल्यू सी प्रभाव के साथ समय मान में 2 वर्षों के मूल वेतन + ग्रेड वेतन का 6% 2 वेतनवृद्धि द्वारा वेतन की कटौती
60	एच आर शर्मा	वरिष्ठ एओ	दिल्ली विकास प्राधिकरण	22.10.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो वेतनवृद्धियों को रोका गया
61	एन के गुप्ता	एसई (सेवानिवृत्त)	दिल्ली विकास प्राधिकरण	22.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
62	एस के गुलाटी	एएओ	दिल्ली विकास प्राधिकरण	22.10.2009	डब्ल्यू सी प्रभाव के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए वेतन मान में तत्काल रूप से दो चरणों द्वारा कटौती
63	आर एस गोयल	ईई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	28.10.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती